

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 1 AUG 2017

आदेश

क्रमांक एफ 11-03/2017/2/34 :: निविदा आमंत्रण हेतु शासन की वेबसाइट में लिफाफा-“अ” को अमान्य किए जाने का लिखित कारण दर्शाने हेतु प्रावधान उपलब्ध है, निविदा आमंत्रण की यह प्रक्रिया ऑनलाइन है एवं उक्तानुसार वेबसाइट पर दर्शाया गया कारण प्रत्येक निविदाकार द्वारा देखा जा सकता है, इस संबंध में निविदाकार से पृथक पत्राचार में विलंब होना संभावित है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतत् द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.2017 की कण्डिका-3 क (iv) में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेखित पंक्ति “संबंधित निविदाकार को अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट) इसकी लिखित में सूचना देगा।” तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2017 की कण्डिका-5 क (iv) में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेखित पंक्ति “संबंधित निविदाकार को कार्यपालन यंत्री इसकी लिखित में सूचना देगा।” को विलोपित करता है, उक्त कण्डिकाओं में शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांकएफ 11-03/2017/2/34
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 1 AUG 2017

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
6. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल/परि.मण्डल म.प्र.।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।


मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग